



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ, 1942 (श०)

संख्या-92 राँची, शुक्रवार,

5 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-135/2016-768 (HRMS)—मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-839/ डी०आर०डी०ए०, दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

(1) बरियातु प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण में पाया गया है कि बरियातु प्रखंड के कुल 09 पंचायतों में पंचायतों द्वारा ली गई योजनाओं में आपके द्वारा जो राशि FTO के माध्यम से निकाली गई है, उसकी प्रविष्टि पंचायत के योजना पंजी, FTO पंजी में नहीं पायी गयी है। इन योजनाओं में कुल 56,85,598/- रु० मनरेगा मद की निकासी FTO के माध्यम से फर्जी अभिश्रव एवं मास्टर रोल के आधार पर की गई है।

(2) आपके द्वारा बरियातु प्रखंड के मनरेगा योजनाओं में सामग्री आपूर्ति के लिए मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी के नाम बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा के खाता सं०-590220110000131 में जो राशि मनरेगा की भुगतान की गई है, उसकी जांच के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गई है-

(i) मो० जनाब अंसारी को विभिन्न तिथियों में कुल 74.80 लाख रु० का भुगतान किया गया है, जो मनरेगा लाभुक नहीं है।

(ii) मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर कमरूल आरफी ने स्वयं अपने नाम से कुल 1,05,30,754/- रु० नकद राशि निकासी की गई है, जिसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि मनरेगा की इस राशि का व्यय कहाँ हुआ और किनको भुगतान किया गया, यह एक वित्तीय अनियमितता है एवं मनरेगा अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

(iii) मो० फकरू के नाम से 5.15 लाख रु०, अफसर आलम के नाम से 12.00 लाख रु०, जाहिद अली के नाम से 5.00 लाख रु०, साहिद अख्तर के नाम 8.00 लाख रु०, जाहिद आलम के नाम से 4.40 लाख रु०, गुफरान राज के नाम 7.00 लाख रु० अर्थात् उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को कुल 41.55 लाख रु० भुगतान किया गया, जिसकी कोई भी विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि वे मनरेगा के किस योजना के लाभुक थे।

(iv) आपने स्वयं अपने नाम से 15.00 लाख रु० मनरेगा की राशि चेक के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा से निकासी की है, परन्तु इस राशि को आपने कहाँ व्यय किया और किन मनरेगा के लाभुकों को इसका भुगतान किया गया, इसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(v) भैंडर द्वारा श्री आशीष कुमार को कुल 7.50 लाख रु० का भुगतान किया गया है, जो मनरेगा के लाभुक नहीं हैं।

(vi) भैंडर एवं आपने कुल 6.18 लाख रु० अविनाश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम पर निकासी की गई है, जिसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय, बरियातु में आपके द्वारा संधारित नहीं किया गया है।

(vii) आपने मनरेगा के भैंडर कमरूल आरफी के साथ मिली-भगत कर विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों, Travels & Tours एवं Auto Sweep कंपनियों के माध्यम से कुल 57,41,310.40 रु० का भुगतान किया गया, जिस पर आपने भैंडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो दर्शाता है कि आपकी मिली-भगत एवं मौन सहमति से मनरेगा की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है।

(3) कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार-सह-वरीय पदाधिकारी, बरियातु प्रखंड द्वारा मनरेगा योजनाओं की जांच की गई, जिसमें निम्नांकित चार योजनाओं में अनियमितता पायी गयी-

(i) साही महुआ से ब्रह्मदेव उरांव के घर होते हुए पीच रोड तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 5,46,435/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्य स्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 2,43,533/- रु० की पायी गई है। इस प्रकार योजना में 3,02,902/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है।

(ii) वंशी यादव के घर से जीतु उरांव के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 1,49,688/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 94,557/- रु० की है। इस प्रकार योजना में 55,131/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है।

(iii) विरेन्द्र ठाकुर के घर से रहमान मियां के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 5,07,116/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 2,91,903/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 53,686/- रु० का पाया गया है। इस प्रकार योजना में 2,38,217/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है।

(iv) नगेश्वर उरांव के घर से नावाडीह तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 5,70,735/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 99,118/- रु० का ही पाया गया है। इस प्रकार योजना में 4,71,617/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है।

उपरोक्त सारी योजनाओं का अभिलेख जांच पदाधिकारी को न तो प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध हो पाया और ना ही पंचायत कार्यालय में। उन्हें यह बताया गया कि अभिलेख की जानकारी न तो प्रखंड कार्यालय के किसी सहायक को है और ना ही किसी पंचायत सेवक को। वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातु ने अपने पत्रांक-702, दिनांक 07.09.2016 द्वारा उपरोक्त योजनाओं का अभिलेख इस कार्यालय को भेजा गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि उपरोक्त अभिलेख आपके द्वारा उन्हें हस्तगत कराया गया। उक्त योजनाओं में कुल 10,67,867/- रु० राशि की अवैध निकासी आपके द्वारा की गई।

(4) आपने बरियातु प्रखंड के लिए मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी को मनरेगा में सामग्री आपूर्ति के लिए भंडर के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा अपने पत्रांक-376 दिनांक 18.09.2014 को किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मे० सादिया ट्रेडिंग का बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा में अंकित है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि क्या मनरेगा के लाभुक बरियातु से चलकर बालूमाथ प्रखंड पार कर चंदवा प्रखंड में स्थित बैंक में आकर मनरेगा की राशि प्राप्त करते? जबकि बरियातु प्रखंड में बैंक उपलब्ध है। स्पष्ट है कि आपने जान-बूझकर मे० सादिया ट्रेडिंग, जिनका चंदवा प्रखंड में बैंक खाता था, को भंडर बनवाया ताकि मनरेगा की राशि का गबन किया जा सके।

आपके इस कृत्य के कारण मनरेगा की कुल 3,07,75,064.40 रु० की सरकारी राशि की क्षति हुई है, जिसके लिये आप जिम्मेवार हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9651, दिनांक 16.11.2016 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इनके पत्रांक-308, दिनांक 12.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण

समर्पित किया। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7581, दिनांक 28.06.2017 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-3005, दिनांक 28.12.2017 द्वारा मो० आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित नहीं किया गया तथा यह कहा गया कि मो० आलम द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जो तथ्य रखा गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2566(hrms), दिनांक 15.10.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा० प्र० से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-239, दिनांक 15.10.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री आलम के विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में निम्नांकित मन्तव्य दिया गया है

आरोप संख्या-1 पर मंतव्य- प्रपत्र-‘क’ में कुल 71 योजनाओं के नाम हैं, किन्तु बरियातु पंचायत के तीन योजनाओं का नाम दो-दो बार अंकित किये गये हैं। फलतः योजनाओं की कुल संख्या-68 है। NPVR & Company (Chartered Accountants) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में MIS में वर्णित मास्टर रोल एवं वॉउचर तथा FTO किये गये मास्टर रोल एवं वॉउचर में पाये गये अन्तर को स्पष्ट किया गया है न कि फर्जी मास्टर रोल एवं वॉउचर के आधार पर FTO निर्गत किये जाने की बात कही गई है। किन्तु योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा कराये गये विशेष अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका-5 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि मनरेगा की क्रियान्वित योजनाओं की अभिलेखों की जांच के क्रम में पंचायतों के मूल अभिलेख एवं योजना पंजी में दर्ज अभिश्रव की राशि के विरुद्ध तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सीधे FTO कर अभिश्रव की राशि की निकासी की गई थी। वित्त अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अधिकांशतः मास्टर रोल की राशि पंचायत के संज्ञान में बताया गया है, किन्तु सामग्री मद में किये गये भुगतान की जानकारी मुखिया/पंचायत सेवक/रोजगार सेवक के द्वारा नहीं कही गई है। अंकेक्षण के दौरान सामग्री मद में भुगतान किये गये FTO से संबंधित अभिश्रवों का योजना अभिलेखों के साथ पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहना यह संकेत करता है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों की अनुशंसा के बिना आरोपी के द्वारा सीधे सामग्री मद में FTO के माध्यम से भंडार के खाते में भुगतान कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। अंकेक्षण दल के द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी के द्वारा पंचायत स्तरीय कर्मियों/ पदाधिकारियों की अनुशंसा के बिना 41,71,554/- रु० सामग्री मद में फर्जी अभिश्रव के आधार पर भंडार के खाते में FTO के माध्यम से राशि अंतरित करने का आरोप सही प्रतीत होता है।

आरोप संख्या-2 पर मंतव्य-

(i) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।

- (ii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।
- (iii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।
- (iv) आरोप प्रमाणित नहीं होता है।
- (v) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।
- (vi) आरोप असंगत प्रतीत होता है।
- (vii) आरोपी के विरुद्ध अवैध निकासी का आरोप लगाया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

आरोप संख्या-3 पर मंतव्य-

- (i) आरोप सही प्रतीत होता है।
- (ii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है।
- (iii) आरोप सही प्रतीत होता है।
- (iv) आरोप बहुत हद तक सही प्रतीत होता है।

आरोप संख्या-4 पर मंतव्य- आरोपी के विरुद्ध यह आरोप निराधार प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के द्वारा कुल 52.28 लाख रु० अनियमित रूप से भंडर के खाते में हस्तानान्तरित कर सरकारी राशि को क्षति पहुँचाने का आरोप सही प्रतिवेदित किया गया है।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी पाँच वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-2070, दिनांक 19.03.2020 द्वारा मो० आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। मो० आलम के पत्रांक-742/जि०स०क०, दिनांक 20.07.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। मो० आलम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित मुख्य तथ्य एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत् है-

(i) NPVR & Company के प्रतिवेदन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अभिश्रव मद में कुल 09 पंचायतों में एम०आई०एस० की राशि 182.09 लाख रु० का किया गया है, जबकि एफ०टी०ओ० की राशि मात्र 131.19 लाख रु० का किया गया है अर्थात् एफ०टी०ओ० की राशि (भुगतान राशि) एम०आई०एस० की राशि से कम पाया गया है। स्पष्ट करना है कि मनरेगा में यदि एम०आई०एस० से कम एफ०टी०ओ० की राशि पायी जाती है तो ये मामला गबन या अनियमितता का नहीं बनता है, बल्कि ये मामला लम्बित दायित्व का बनता है। NPVR & Company के द्वारा दिये

गये प्रतिवेदन में उक्त 65.85 लाख रु० का अंतर इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफ०टी०ओ० पंजी में मुखिया, रोजगार सेवक इत्यादि के द्वारा एफ०टी०ओ० पंजी में इंटी नहीं किया गया है। जब वो राशि 56.85 लाख लम्बित दायित्व के अंतर्गत है अर्थात् उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है तब योजना पंजी एवं एफ०टी०ओ० पंजी में प्रविष्टि करने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए।

विभागीय समीक्षा- मो० आलम का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि मनरेगा योजना में राशि भुगतान करने के उपरान्त ही संबंधित अभिश्रव का एम०आई०एस० इंटी की जाती है। एफ०टी०ओ० की राशि से एम०आई०एस० की राशि कम हो सकती है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि शत-प्रतिशत अभिश्रवों का एम०आई०एस० प्रविष्टि न हो पायी हो, किन्तु अभिश्रवों के एफ०टी०ओ० की राशि 131.9 लाख होना एवं एम०आई०एस० में अभिश्रवों की राशि के रूप में 182.09 लाख की प्रविष्टि होना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि फर्जी अभिश्रवों के आधार पर एम०आई०एस० प्रविष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका-5 में प्रतिवेदित किया गया है कि बरियातु प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा की 60 योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गई अनियमितता की जांच के क्रम में पाया गया कि पंचायतों के मूल अभिलेख एवं योजना पंजी में संबंधित अभिश्रवों का संधारण दर्ज नहीं है, जो वित्तीय अनियमितता का धोतक है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि योजनाओं में 41.71554 लाख के अधिक भुगतान संबंधित पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के संज्ञान में नहीं है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका-6 में प्रतिवेदित किया गया है कि 09 योजनाओं का मूल अभिलेख, योजना पंजी, अभिश्रव पंजी पंचायत एवं प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि मनरेगा वेबसाईट के अनुसार उक्त 09 योजनाओं में मास्टर रोल एवं अभिश्रव के रूप में राशि की निकासी पायी गई थी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि प्रश्नगत योजनाएं मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत थी, जिनका क्रियान्वयन पंचायत के द्वारा किया जाना था तथा पंचायत के द्वारा ही सामाग्रियों की आपूर्ति का आदेश दिया जाना था। सामाग्रियों की आपूर्ति मिलने के बाद विधिवत् उसका अभिश्रव अभिलेख में संधारित करते हुए अभिलेख के आदेशफलक तथा योजना पंजी आदि में मास्टर रोल एवं अभिश्रव की राशि का उल्लेख करते हुए राशि के भुगतान हेतु पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुशंसा किये जाने के बाद ही नाजीर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एफ०टी०ओ० किया जाना था, किन्तु मो० आलम द्वारा इसका अनुपालन न करते हुए बिना पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों की अनुशंसा के सीधे सामाग्री मद में एफ०टी०ओ० के माध्यम से भंडार के खाते में भुगतान कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है।

(ii) साही महुआ से ब्रह्मदेव उराँव के घर होते हुए पिच रोड तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण की जांच पांच वर्ष बाद भी ग्रामीण विकास विभाग की टीम बनाकर करायी जा सकती है। यदि योजना में कार्य के अनुरूप भुगतान नहीं पाया गया तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी कर्मियों से की जाय। यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि योजना के निरीक्षण के समय रोजगार सेवक के द्वारा तत्कालीन

कार्यपालक दण्डाधिकारी को अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया। जांचकर्त्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा मनरेगा सॉफ्ट में की गई एम0आई0एस0 से संबंधित साक्ष्य निकालकर केवल मुझे अधिक भुगतान का दोषी ठहराया गया, जो कतई उचित नहीं है। विभागीय जांच पदाधिकारी अपने जांच एवं निष्कर्ष लिखते हैं कि इस योजना से संबंधित अभिश्रव पर पंचायत स्तरीय किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, केवल जे0ई0 एवं ए0ई0 का हस्ताक्षर है। इसी आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि बिना आपूर्ति के भंडर को लगभग 3.02 लाख का भुगतान किया गया। इस पर कहना चाहता हूँ कि भुगतान प्रखंड से किया गया है। योजना प्रखंड की है। अभिश्रव पर पंचायत स्तरीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होता है। तकनीकी शाखा के पदाधिकारी जे0ई0 एवं ए0ई0 होते हैं। ये दोनों अगर सत्यापित करते हैं कि कार्य हुआ है, सामाग्री आपूर्ति की गई है तो इस आधार पर बी0डी0ओ0 संतुष्ट होकर भुगतान कर सकता है।

विभागीय समीक्षा- मो0 आलम का कथन विरोधाभासी एवं मान्य नहीं है, क्योंकि एक ओर उनका कहना है कि संबंधित योजना प्रखंड का है एवं दूसरी ओर उनके द्वारा अभिलेख संधारण करने, उसका रख-रखाव करने एवं जांच के क्रम में उपस्थापित करने का दायित्व रोजगार सेवक पर थोपा गया है। प्रखंड स्तरीय योजनाओं के रख-रखाव का दायित्व प्रखंड सहायकों का होता है न कि रोजगार सेवक का। कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- वरीय पदाधिकारी, बरियातु प्रखंड एवं सहायक अभियंता एन0आर0ई0पी0 के जांच प्रतिवेदन में इस योजना में वास्तविक कार्य का मूल्यांकन 2,43,535/- रु0 प्रतिवेदित किया गया है, जबकि इस योजना में कुल 5,46,435/- रु0 का भुगतान किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आरोपी द्वारा इस योजना का अभिलेख अपने उत्तरवर्त्ती पदाधिकारी को बाद में उपलब्ध करवाया गया, जो आरोपी के कार्यकलाप को संदेह के घेरे में ला खड़ा करता है। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज में सम्पूर्ण योजना का अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है और ना ही मापीपुस्त की प्रति संलग्न की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि इस योजना में पूर्व में कुल कितनी मापी दर्ज की गई थी। इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना में पूर्व में दर्ज मापी से अधिक राशि का भुगतान बिना पंचायत स्तरीय कर्मियों की जानकारी के किया गया है।

(iii) बिरेन्द्र ठाकुर के घर से रहमान मियां के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण में पूर्व में दिये गये बचाव-बयान में मेरे द्वारा बताया गया था। योजना में संतोषप्रद कार्य पाये जाने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की गई थी। मिट्टी मोरम आपूर्ति करने वाले एजेंसी का भुगतान लम्बित रहने पर तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार श्री अनिल सिंह के द्वारा निदेश दिया गया था कि भंडर को भुगतान कीजिए। तत्पश्चात् योजना की जांच के उपरांत सामाग्री की राशि का भुगतान करवाया गया था। यह आरोप लगाने से पूर्व तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार की नैतिक मृत्यु हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के आदेश से भुगतान की गई थी। विभागीय जांच पदाधिकारी भी अपने मंतव्य में स्पष्ट लिखते हैं कि योजना में अभिश्रव मद में व्यय की गई 2,64,095/- राशि नियमानुकूल प्रतीत होती है।

विभागीय जांच पदाधिकारी का ये कथन स्पष्ट करता है कि इस योजना में कोई भी अनियमित भुगतान नहीं किया गया है। निश्चित रूप से विभागीय जांच पदाधिकारी के इस कथन का लाभ मुझे मिलना चाहिए। इस योजना का सम्पूर्ण अभिलेख देखे बिना तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा मात्र एम0आई0एस0 के आधार पर अधिक भुगतान का आरोप लगाते हैं, जो कतई उचित नहीं है। इस योजना के संबंध में यदि श्रीमान् को कोई दुविधा हो रही हो तो इसकी जांच ग्रामीण विकास विभाग या लातेहार जिला से पुनः कराने के पश्चात् आवश्यक निर्णय लेने की कृपा की जाय।

विभागीय समीक्षा- मो0 आलम का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में इस योजना में वास्तविक कार्य का मूल्यांकन मात्र 53,686/- रु0 प्रतिवेदित किया गया है, जबकि योजना में कुल 2,91,903/- रु0 की निकासी की गई है। इसके अतिरिक्त योजना का अभिलेख न तो जांच टीम और ना ही अंकेक्षण टीम को उपलब्ध करवाया गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी के द्वारा अपने उत्तरवती पदाधिकारी को योजना का अभिलेख उपलब्ध करवाया गया, जो इनके कार्यकलाप को संदेह के घेरे में ला खड़ा करता है। विशेष तथ्य यह भी है कि इस योजना में मजदूरी के रूप में भुगतान शून्य दर्शाया गया है। अतः मजदूरी पर व्यय किये बिना पथ निर्माण की योजना का निर्माण किसी भी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। मो0 आलम द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज में इस योजना का न तो सम्पूर्ण अभिलेख और ना ही मापीपुस्त की प्रति संलग्न नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा कतिपय तथ्य छिपाया जा रहा है।

(iv) नागेश्वर गंझु के घर से नावाडीह तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में कार्य के अनुरूप भुगतान किया गया है। इस योजना की जांच लातेहार के पूर्व निदेशक, डी0ओर0डी0ए0, लातेहार के द्वारा किया गया था। इनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-789 दिनांक 29.04.2016 के द्वारा मुझे दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया था, जिसका पालन करते हुए मेरे द्वारा उपायुक्त, लातेहार को सूचित किया गया था। इस पत्र को देखने से स्पष्ट होता है कि इस योजना में कार्य के अनुरूप भुगतान किया गया था। कार्यपालक दण्डाधिकारी को जांच के समय रोजगार सेवक द्वारा अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण कार्य का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जा सका। इनके द्वारा रोड की लम्बाई, चौड़ाई एवं मिट्टी मोरम का कार्य का आकलन नहीं किया गया। मात्र मोटरसाईकिल से 100 मी0 देखकर तथा मनरेगा सॉफ्ट से केवल एम0आई0एस0 निकालकर बिना अभिलेख देखे 3.96 लाख रु0 का अधिक भुगतान का आरोप लगा दिया गया, जबकि इस योजना में अभिश्रव में मात्र 2.07 लाख का भुगतान किया गया है। इस योजना का उल्लेख आरोप

सं0-01 के बरियातु पंचायत से संबंधित योजना के क्रमांक-12 एवं 14 पर देखा जा सकता है। जिसमें NPVR & Company के द्वारा 1.81 लाख का अधिक एम0आई0एस0 होने का प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि योजना में वास्तविक भुगतान 2.07 लाख कार्य के अनुरूप किया गया है। इस योजना की जांच पांच वर्ष बाद किया जाय। यदि कार्य से अधिक भुगतान पाया जाय तो राशि की वसूली की जाय।

विभागीय समीक्षा- मो0 आलम का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं सहायक अभियंता के जांच प्रतिवेदन के अनुसार योजना की कुल प्राक्कलित राशि 9.96 लाख के विरुद्ध 5,70,735/- रु0 की निकासी की गई है, जबकि कार्य का मूल्यांकन मात्र 99,118/- रु0 प्रतिवेदित किया गया है। मो0 आलम द्वारा साक्ष्य के रूप में सम्पूर्ण अभिलेख एवं मापीपुस्त की प्रति संलग्न न कर सिर्फ अभिश्रव की प्रति संलग्न किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस योजना से संबंधित 03 अभिश्रवों में वाहन संख्या के स्थान पर self एवं एक अभिश्रव में वाहन संख्या के स्थान पर सिर्फ रौलर लिखा होने के कारण इन अभिश्रवों की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतिवेदित की गई है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के पत्रांक-148 दिनांक 03.03.2016 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के दौरान संबंधित पंचायत, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया एवं बताया गया कि अभिलेख बी0डी0ओ0 साहब के पास है। संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों के द्वारा राशि के भुगतान करने की अनुशंसा किये बगैर मजदूरी/सामग्री मद में आरोपी का राशि का एफ0टी0ओ0 करना बिल्कुल ही अनियमित है।

इसके अतिरिक्त योजना-सह-वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक-03 दिनांक 25.01.2019 द्वारा प्रेषित विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में मो0 आलम की प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार की पदावधि में कुल 48,87,954/- रु0 की राशि का गबन प्रतिवेदित किया गया है एवं राशि ब्याज सहित वसूली हेतु अनुशंसा की गई है।

समीक्षोपरांत, मो0 अफताब आलम, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14;(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162	मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
